

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 566]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 24, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

क्र. एफ 1-57-2005-एक-13.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972 में निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में नियम-4 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्न उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1) रुपये 15000/- (रुपये पन्द्रह हजार) प्रतिमाह राज्य सम्मान निधि स्वीकृत की जावेगी.”

2. उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी, सचिव.